



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34132

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2031/2026

कन्हैया

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी

---

याची के अधिवक्ता : राम बहादुर सिंह, संतोष कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

---

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2- आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2025 को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है। उपर्युक्त आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2- आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा मामले को प्रत्यर्थी संख्या 3- मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया गया था।
2. कुछ तर्कों के बाद, याची के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल प्रत्यर्थी संख्या 3, जिनके समक्ष मामला लंबित है, को इसे शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश देने तक सीमित रखा।
3. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में मामले को नए सिरे से शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर निर्णीत करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 13, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"